25 मार्च, 2022 कार्यकारी आदेश 2022-08

इलिनॉय सायबरसुरक्षा आयोग (सायबरसिक्यॉरिटी कमीशन) की स्थापना के लिए सरकारी आदेश

जबकि, इलिनॉय राज्य इस बात को मानता है कि राष्ट्र और राज्य की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (इन्फ़ॉर्मेशन टेक्नॉलजी) सबसे महत्वपूर्ण है; और,

जबकि, आवश्यक सेवाओं और दैनिक जीवन के लिए व्यवसायों, सरकारों, अकादमिक जगत और व्यक्तियों, सभी की सूचना प्रौद्योगिकी तंत्रों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है जिसमें सूचना तंत्र, नेटवर्क और अत्यंत महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा शामिल हैं; और,

जबकि, आम जनता और सार्वजनिक (सरकारी) तथा निजी क्षेत्र की यह अपेक्षा है कि इलिनॉय राज्य के नागरिकों के लिए व्यक्तिगत, पेशेवर और वित्तीय जोखिम पैदा करने वाले और हमारे राज्य की सुरक्षा व अर्थव्यवस्था को ख़तरे में डालने वाले परिष्कृत सायबर-हमलों से पैदा होने वाले और लगातार बढ़ रहे ख़तरों से ये सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र सुरक्षित रहें और इनमें फिर उठ खड़े होने की क्षमता हो; और,

जबकि, इलिनॉय के भीतर सूचना प्रौद्योगिकी तंत्रों को सुरक्षित बनाना किसी भी एक संस्था या इकाई की पहुँच से बाहर है, और इसके लिए एक ऐसी सहकार्यपूर्ण सार्वजनिक-निजी साझेदारी आवश्यक होती है जो एकजुट प्रयास को बढ़ावा देती हो; और,

जबकि, राज्य की सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था के संरक्षण हेतु, राज्य सरकार के लिए यह उपयुक्त और आवश्यक है कि वह इलिनॉय की सायबरसुरक्षा को बढ़ाने हेतु एक संपूर्ण-राज्य पद्धति विकसित तथा अनुशंसित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, सेना, शोध और अकदामिक हितधारकों को संलग्न करते हुए एक सहयोगपूर्ण प्रयास स्थापित करे और उसका नेतृत्व करे;

अतः, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), इलिनॉय राज्य के संविधान के अनुच्छेद V द्वारा मुझमें निहित कार्यकारी प्राधिकार के आधार पर, इसके द्वारा निम्नवत आदेश देता हूं:

I. इलिनॉय सायबरसुरक्षा आयोग (सायबरसिक्यॉरिटी कमीशन)

A. इस सरकारी आदेश के नियमों के अनुसरण में इलिनॉय सायबरसुरक्षा आयोग (सायबरसिक्यॉरिटी कमीशन) (“कमीशन”) की एतद्द्वारा स्थापना की जाती है।

B. आयोग का गठन राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा निम्नवत नियुक्त मतदाता सदस्यों और ग़ैर-मतदाता सदस्यों को मिलाकर होगा:

a. मतदाता सदस्य:

i. राज्यपाल (गवर्नर) के गृह सुरक्षा सलाहकार (होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइज़र) या पदनामिती;
ii. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी) के निदेशक, या पदनामिती;
iii. इलिनॉय नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ इनोवेशन एंड टेक्नॉलजी) के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (चीफ़ इन्फ़ॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफ़िसर), या पदनामिती;
iv. इलिनॉय महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल), या इलिनॉय महान्यायवादी की अनुमति व अनुमोदन के साथ, पदनामिती;
v. इलिनॉय नेशनल गार्ड के महासैन्यसहायक (एड्जुटेंट जनरल), या पदनामिती;
vi. इलिनॉय राज्य पुलिस के निदेशक, या पदनामिती;
vii. इलिनॉय वाणिज्य आयोग (कॉमर्स कमीशन) के अध्यक्ष, या उक्त अध्यक्ष की अनुमति व अनुमोदन के साथ, पदनामिती;
viii. इलिनॉय वाणिज्य एवं आर्थिक अवसर विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स एंड इकॉनमिक अपॉर्चुनिटी) के निदेशक, या पदनामिती;
ix. इलिनॉय राजस्व विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ रेवेन्यू) के निदेशक, या पदनामिती; और
x. राज्यपाल कार्यालय (ऑफ़िस ऑफ़ द गवर्नर) का एक प्रतिनिधि।

b. ग़ैर-मतदाता सदस्य:

i. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संघ/मंडल का एक प्रतिनिधि;
ii. संचार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संघ/मंडल का एक प्रतिनिधि;
iii. रक्षा औद्योगिकी आधार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संघ/मंडल का एक प्रतिनिधि;
iv. ऊर्जा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संघ/मंडल का एक प्रतिनिधि;
v. वित्तीय सेवाएँ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संघ/मंडल का एक प्रतिनिधि;
vi. स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संघ/मंडल का एक प्रतिनिधि; और
vii. जल एवं अपशिष्ट जल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संघ/मंडल का एक प्रतिनिधि।

C. आयोग में संबंधित संघीय अभिकरण की अनुमति और अनुमोदन के साथ, उक्त अभिकरण द्वारा यथा चयनित निम्नलिखित ग़ैर-मतदाता सदस्य भी शामिल हो सकते हैं:

a. संघीय अन्वेषण ब्यूरो (फ़ेडरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन) के शिकागो या स्प्रिंगफ़ील्ड क्षेत्र कार्यालय (फ़ील्ड ऑफ़िस) से एक सायबरसुरक्षा विशेषज्ञ।

b. संयुक्त राज्य अमेरिका गृह सुरक्षा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी) से दो निम्नवत सायबरसुरक्षा विशेषज्ञ:

i. सायबरसुरक्षा एवं अवसंरचना सुरक्षा अभिकरण (सायबरसिक्योरिटी एंड इन्फ़्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी) के क्षेत्र 5 कार्यालय से एक सायबरसुरक्षा सलाहकार; और

ii. संयुक्त राज्य अमेरिका गुप्तचर सेवा (सीक्रेट सर्विस) के शिकागो क्षेत्र कार्यालय (फ़ील्ड ऑफ़िस) से एक सायबरसुरक्षा विशेषज्ञ।

D. आयोग में राज्यव्यापी आतंकवाद एवं आसूचना केंद्र (स्टेटवाइड टेररिज़्म एंड इंटेलिजेंस सेंटर, STIC) का एक प्रतिनिधि, सलाहकार सदस्य के रूप में शामिल होगा। आयोग सार्वजनिक (सरकारी) और निजी क्षेत्र, दोनों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सलाहकार सदस्यों को भी नियुक्त कर सकता है। इलिनॉय राज्य पुलिस (स्टेट पुलिस) के निदेशक द्वारा पदनामित किए जाने वाले STIC प्रतिनिधि के अपवाद को छोड़कर, सलाहकार सदस्यों का चयन और अनुमोदन आयोग के मतदाता सदस्यों के बहुमत द्वारा होगा। सलाहकार सदस्यों का प्रयोजन विषय-वस्तु विशेषज्ञता और विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि प्रदान करके आयोग को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना है।

E. राज्यपाल (गवर्नर) के गृह सुरक्षा सलाहकार (होमलैंड सिक्यॉरिटी एडवाइज़र) या पदनामिती, आयोग के अध्यक्ष होंगे।

F. आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक कार्यान्वयन योजना विकसित और अनुशंसित करेगा:

a. निजी क्षेत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा इकाइयों के लिए सायबर जागरुकता का निर्माण और उसमें वर्धन करना, इसमें हितधारकों को सायबरसुरक्षा हमलों की रोकथाम करने और व्यक्तिगत जानकारी का संरक्षण करने के तरीक़ों पर शिक्षित करना; और तकनीकी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए सायबर सुरक्षा प्रशिक्षणों का संचालन करना, उन्हें सहायता देना और उनमें भाग लेना शामिल है;

b. मूल्यवान सूचनाओं, संसाधनों और सेवाओं के संरक्षण हेतु आवश्यक परिपाटियाँ, प्रक्रियाएँ और समग्र नियोजन का विकास करना, इसमें अग्रलिखित के द्वारा ऐसा करना शामिल है: प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए सायबर-हमलों की पहचान करना और उन्हें बाधित करना; राज्यव्यापी सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया क्षमताओं को बेहतर बनाना और उनका विस्तार करना; और जनता की सेवा करने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्रों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा साझेदारों के लिए पार-क्षेत्रीय और सामुदायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और उसे सुगम बनाना;

c. निजी क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा संगठनों को सायबरसुरक्षा को बेहतर बनाने के जोखिम-आधारित निर्णय लेने में सहायता देने के लिए सर्वोत्तम परिपाटियों के उपयोग के माध्यम से सायबर सक्षमताओं को परिपक्व बनाना, जिसमें अग्रलिखित के द्वारा ऐसा करना शामिल है: सायबरसुरक्षा के प्रति जोखिम-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना; क्षेत्रीय अत्यंत महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा सायबर प्रतिक्रिया दलों का गठन करना; और सायबर परिपक्वता को आगे बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम परिपाटियों व साधनों का विकास और प्रसार करना; और

d. डिजिटल बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा और उसकी फिर उठ खड़े होने की क्षमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सतत शिक्षण और सूचना साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारियाँ बनाना और उन्हें विस्तार देना, जिसमें अग्रलिखित के द्वारा ऐसा करना शामिल है: अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्रों की फिर उठ खड़े होने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों के साथ साझेदारियाँ गढ़ना और उन साझेदारियों को पोषित करना; और राज्य को प्रभावित कर रहे ख़तरों व दुर्बलताओं की पहचान करना, उनका मूल्यांकन करना और उनके बारे में सूचनाएँ साझा करना।

G. आयोग एक अधिकारपत्र अंगीकार कर सकता है जो इस सरकारी आदेश और लागू क़ानून के उपबंधों से संगत होगा, और जिसमें यह वर्णन होगा कि आयोग स्वयं का संचालन कैसे करेगा और इस सरकारी आदेश में प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन कैसे करेगा।

अधिकारपत्र में आयोग की बैठकों, समितियों व कार्य समूहों के गठन जैसे मामलों और आयोग द्वारा उपयुक्त माने गए अन्य मामलों को संबोधित किया जा सकता है।

H. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी) आयोग को प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगा और उसके अभिलेख बनाकर रखेगा।

II. राज्यपाल (गवर्नर) को प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

आयोग के अध्यक्ष 31 दिसंबर, 2022 तक राज्यपाल (गवर्नर) के समक्ष एक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रस्तुत करेंगे। प्रतिवेदन में आयोग की गतिविधियों, उपलब्धियों और अनुशंसाओं/संस्तुतियों का विस्तृत वर्णन होगा। प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने पर, आयोग भंग हो जाएगा।

III. नैतिक एवं अन्य आवश्यकताएँ

आयोग लागू क़ानून के उपबंधों के अधीन होगा, जिनमें बिना किसी सीमाबंधन के इलिनॉय मुक्त बैठक अधिनियम (ओपन मीटिंग्स एक्ट), 5 ILCS 120/, और इलिनॉय सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम (फ़्रीडम ऑफ़ इन्फ़ॉर्मेशन एक्ट), 5 ILCS 140/ शामिल हैं। आयोग के सदस्य लागू क़ानून के उपबंधों के अधीन होंगे, जिनमें बिना किसी सीमाबंधन के इलिनॉय राज्य अधिकारी एवं कर्मचारी नैतिकता अधिनियम (स्टेट ऑफ़िशियल्स एंड एम्प्लॉयीज़ एथिक्स एक्ट), 5 ILCS 430/ शामिल है।

IV. बचत खंड (सेविंग्स क्लॉज़)

इस कार्यकारी आदेश में मौजूद किसी भी बात का अर्थ किसी भी संघीय या राज्य कानून या विनियम के उल्लंघन के रूप में नहीं निकाला जाएगा। इस कार्यकारी आदेश में मौजूद कोई भी बात किसी भी राज्य एजेंसी की मौजूदा सांविधिक शक्तियों को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करेगी और उसका अर्थ किसी भी राज्य एजेंसी को नए सिरे से आदेशित करने या उसके पुनर्गठन के रूप में नहीं निकाला जाएगा।

V. पूर्ववर्ती कार्यकारी आदेश

यह कार्यकारी आदेश किसी भी अन्य पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान को निरस्त करता है।

VI. पृथक्करणीयता खंड

यदि इस कार्यकारी आदेश का कोई भी अंश किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा अमान्य पाया जाता है तो शेष उपबंध पूर्णतः लागू एवं प्रभावी रहेंगे। इस कार्यकारी आदेश के उपबंध विच्छेदनीय हैं।

VII. प्रभावी होने की तारीख

यह सरकारी आदेश राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास इसे दायर किए जाने पर प्रभावी हो जाएगा।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker),
राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 25 मार्च, 2022
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास दायर 25 मार्च, 2022